झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश सं0–2ए/आरोप–01–192/2012 का0 **11245**/राँची, दिनांक **03** अक्टूबर, 2012

उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक– 1449 दिनांक 06.09.2012 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इन्दिरा आवास योजना के प्राक्कलन के अनुसार 2193 आवासों मे शौचालय एवं उन्नत चूल्हा हेतु मात्र 15,35,100/– (पन्द्रह लाख पैतीस हजार एक सौ) रूपये की राशि कर्णांकित है, जबकि श्री संदीप कुमार मधेशिया, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरकट्ठा, हजारीबाग के द्वारा कर्णांकित राशि से बहुत अधिक 34,64,900/ (चौतिस लाख चौसठ हजार नौ सौ) रूपये अग्रिम बिरसा सेवा समिति, रामगढ़ को भुगतान किया गया। अपने स्पष्टीकरण में आरोपित पदाधिकारी के द्वारा कहा गया है कि वे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के अतिरिक्त अन्य प्रभार में भी थे तथा जल्दीबाजी में अग्रिम हो गया। उन्होनें यह भी स्वीकार किया है कि अधिकांश चूल्हा एवं शौचालय का निर्माण अपूर्ण है। प्रतिवेदित आरोपों एवं स्पष्टीकरण से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि श्री मधेशिया के द्वारा सरकारी राशि के गबन/दुरूपयोग तथा बिरसा सेवा समिति को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अग्रिम दिया गया।

2. श्री संदीप कुमार मधेशिया, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरकट्ठा, हजारीबाग, को उक्त आरोपों के लिए असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम –49 (ए) (I) के तहत् तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

3. निलम्बन अवधि में श्री मधेशिया के मुख्यालय प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग निर्धारित किया जाता है।

4. श्री मधेशिया को उनके निलम्बन अवधि में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम–96 के तहत् अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2ए/आरोप–01–192/2012 का0 **11245** /राँची, दिनांक **03** अक्टूबर, 2012

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2ए/आरोप–01–192/2012 का0 **11245** /राँची, दिनांक **03** अक्टूबर, 2012

प्रतिलिपि– राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव, कोषांग/प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग/उपायुक्त, हजारीबाग/श्री संदीप कुमार मधेशिया, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरकट्ठा, हजारीबाग/ विभागीय–2 एवं 2ए (चारित्री) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/10/12

सरकार के उप सचिव।